न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.) निर्णय दिनांकः 29.08.2022
वाद संख्याः 318 / 2022

1. संतोष उम्र करीब 12 साल पुत्री स्व0 गोपी नाबालिग वली सरपरस्त माता खुद इमरत पत्नि स्व0 गोपी, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम लहरवाडा, तहसील सीकरी, जिला भरतपुर।
2. इमरत पत्नि स्व0 गोपी, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम लहरवाडा, तहसील सीकरी, जिला भरतपुर।

---वादीगण

बनाम

1. ओमवती पत्नि करतारसिंह
2. पूर्णिमा पत्नि महाराजसिंह
3. ममता पत्नि गोविन्दसिंह

जातियान गुर्जर, निवासी ग्राम रानौता, तहसील नगर जिला भरतपुर।

4. रमेश पुत्र पटवारी जाति गुर्जर निवासी ग्राम लहरवाडा तहसील सीकरी।
5. श्रीमान तहसीलदार साहब एवं सबरजिस्ट्रार सीकरी, तहसील सीकरी।

---प्रतिवादीगण

दावा अंतर्गत 53, 188 आर0टी0एक्ट

उपस्थितः–

1. श्री ललित अवस्थी अधिवक्ता वादीगण।
4. श्री प्रतापसिंह गुर्जर अधिवक्ता प्रतिवादी।

निर्णय

यह वादपत्र वादीगण ने इस आशय का संस्थित किया कि आराजी खसरा नंबर 83 / 1.00 बाके ग्राम लहरवाडा तहसील सीकरी में अवस्थित है। आराजी खसरा नंबर 83 / 1.00 बाके ग्राम लहरवाडा तहसील सीकरी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। आराजीयात में वादी संख्या 01 का 1 / 200 हिस्सा, वादी संख्या 02 का 3 / 200 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का 1 / 25–1 / 25 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 का 2 / 5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 का 1 / 2 हिस्सा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 मौके पर अपने– अपने हिस्से की आराजीयात पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है लेकिन प्रतिवादीगण के मन में बदयांति आ गई है जो वादीगण के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी कर कभी किसी दिशा में तो कभी किसी दिशा में काश्त करने लग जाते हैं तथा हर समय झगडा फिसाद पर आमदा रहते हैं जिस वजह से वादीगण एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त काश्त करना संभव नहीं रह गया है इसलिए मुताबिक राजस्व रिकार्ड वादीगण व

उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (भरतपुर) राज०

प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 के मध्य अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजीयात के अलग कुर्रेबंदी, अलग डोल मेड डाली जाकर अलग-अलग खाताबंदी की जाकर विभाजन किया जावे। वादीगण वाई मीट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन करा पाने की डिक्री करा पाने का अधिकारी है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 24.01.2022 को प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की ओर से जबाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण ने अपने जबाब में कथन किया कि वादीगण ने उक्त वाद पत्र सिर्फ प्रतिवादीगण को परेशान करने की मंशा से प्रस्तुत किया है। जबकि उक्त आराजी की बाबत पक्षकारान के मध्य पूर्व में ही बटवारा हो चुका है। दिनांक 14.03.2022 को उभय पक्ष के अभिभाषकों ने वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री जारी करने की सहमति प्रस्तुत की। दिनांक 14.03.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार सीकरी को विवादित आराजी खसरा नंबर 83/1.00 वाके ग्राम लहरवाडा तहसील सीकरी से कुर्रे रिपोर्ट तलब की गई। दिनांक 13.06.2022 को तहसीलदार सीकरी से कुर्रे रिपोर्ट प्राप्त हुई।

दिनांक 29.08.2022 को उभय पक्ष के अभिभाषकों की बहस बाबत कुर्रे रिपोर्ट सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि तहसीलदार सीकरी द्वारा प्रस्तुत कुर्रे रिपोर्ट की बाबत मुझे इस प्रकार आपत्ति है कि मेरा रकवा सडक से लगते हुए पूर्वी तरफ 4 मी0 सडक से लगता हुआ चौडाई व 50 मी0 गहराई (लम्बाई) में है जिसके अनुसार विभाजन किया जावे। इस बाबत वकील प्रतिवादीगण ने सहमति जाहिर करते हुए कथन किया कि वकील वादी के निवेदन के अनुसार विभाजन किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण पक्षकारान की सहमति के आधार पर डिक्री किया जाता है तथा विवादित आराजी खसरा नंबर 83/1.00 वाके ग्राम लहरवाडा तहसील सीकरी को निम्न नक्शे अनुसार विभाजित किया जाता है-

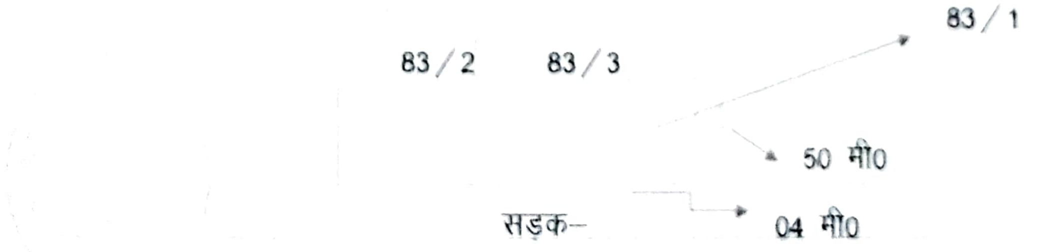

1. आराजी खसरा नंबर 83/1 रकवा 0.02 है0- 1. संतोष पुत्री स्व0 गोपी नाबालिग वली सरपरस्त माता खुद श्रीमति इमरत पत्नि स्व0 गोपी हिस्सा-1/4 जाति गुर्जर निवासी लहरवाडा तहसील सीकरी, 2. इमरत पत्नि स्व0 गोपी हिस्सा-3/4 जाति गुर्जर निवासी लहरवाडा तहसील सीकरी।

उपखण्ड अधिकारी
सीकरी

आराजी खसरा नंबर 83/2 रकवा 0.50 है0– रमेश पुत्र पटवारी जाति गुर्जर निवासी लहरवाडा तहसील सीकरी।

आराजी खसरा नंबर 83/3 रकवा 0.48 है0– 1. ओमवती गुर्जर पत्नि करतारसिंह हिस्सा–1/12 जाति गुर्जर निवासी ग्राम रानौता तहसील नगर, 2. पूर्णिमा गुर्जर पत्नि महाराजसिंह हिस्सा–1/12 जाति गुर्जर निवासी ग्राम रानौता तहसील नगर, 3. ममता पत्नि गोविन्दसिंह हिस्सा–5/6 जाति गुर्जर निवासी ग्राम रानौता तहसील नगर।

अतः विवादित आराजी खसरा नंबर 83/1.00 बाके ग्राम लहरवाडा तहसील सीकरी का उपरोक्तानुसार विभाजन विभाजन किया जाकर अलग–अलग खाते व अलग–अलग लगान कायम की जावे। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। इसी प्रकार पर्चा डिकी जारी हो। निर्णय आज दिनांक 29.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (भरतपुर)